मर्त कर्त पूर्ण अपवान
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110602
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.सं.110345/01/2014/केविसं- मुख्या/शै/ए.ई.ओ(अ) |480-515 — दिनांक:08 मई, 2014

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

उपायुक्त,
केंद्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- विद्यालयों एवं छात्रावासों के उचित रखरखाव के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के संबंध में

संदर्भ:- 1.इस कार्यालय के दिनांक 30 अक्टूबर, 1995 का पत्र संख्या 8-17/95-केविसं(डब्ल्यूकेबी)/ एमसीआर
2.इस कार्यालय के दिनांक 28.10.1999 का पत्र संख्या 13-7/99-केविसं(शैक्षिक)
3.इस कार्यालय के दिनांक 29.05.2003 का पत्र संख्या 32-7/2003-केविसं(शैक्षिक)

महोदया/महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय के संबंध में केविसं मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की ओर आकर्षित करते हुए पुनः स्मरण कराया जाता है कि विद्यालयों एवं छात्रावासों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण के साथ-साथ उनके भवनों का रखरखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में यह देखा गया है कि पर्याप्त सहयोग एवं प्रावधानों के बावजूद भी बहुत से विद्यालयों में इन निर्देशों का अनुपालन समुचित रूप से नहीं हो रहा है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर उचित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण विद्यालय की परिसम्पतियों का नुकसान हो रहा है, वार्षिक मरम्मत खर्च में वृद्धि होती है और विद्यालय में प्रभावी पठन-पाठन में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से विद्यालय भवनों/आस-पास के क्षेत्र विशेषकर छत पर घासफूस व अन्य अवांछित खरपतवार आदि की नियमित कटाई नहीं की जाती है, वर्षा के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन में रूकावट, विद्यालय भवन में पानी का रिसाव इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण हैं। विभिन्न स्रोतो से प्राप्त फीड-बैक और कुछ विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवांछनीय परिस्थितियां पाई गई हैं।

अतः निर्देश दिए जाते हैं कि सभी विद्यालयों द्वारा नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए:

<u>विद्यालयों के लिए</u>

कक्षाओं का फर्नीचर:

- कक्षाओं के फर्नीचर को महत्व दिया जाना चाहिए और फर्नीचर जब भी टूट जाए या उसका कोई हिस्सा ढ़ीला हो जाए तो उसकी नियमित रूप से मरम्म्त करवाई जाए।

- अनुपयोगी फर्नीचर का कक्षाओं में या छत पर ढ़ेर लगाने की बजाय उसका शीघ्र निपटान कर दिया जाए ।

पीने का पानी

- पीने के पानी की टंकी की प्रत्येक तिमाही में सफ़ाई की जानी चाहिए और उस पर पिछली सफ़ाई की दिनांक लिखी जाए और सफ़ाई की अगली नियत तिथि भी अंकित कर दी जाए।

विद्यार्थी प्रसाधन

- छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन
- प्रत्येक प्रसाधन को कम से कम तीन बार अर्थात सुबह विद्यालय शुरु होने से पहले, मध्यावकाश के बाद एवं विद्यालय बंद होने के बाद ब्रश व फिनाइल से साफ़ किया जाना चाहिए ताकि डब्ल्यूसी व टाइल्स पर गंदगी के कोई धब्बे, बदबू व पानी का ठहराव न हो।
- हाथ धोने के लिए साबुन या लिक्विड सोप की व्यवस्था होनी चाहिए।

विद्यार्थियों की स्वच्छता

- यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विद्यार्थी उचित व स्वच्छ यूनिफॉर्म में विद्यालय में आते हैं।
- विद्यार्थियों को अपने जूते पॉलिश करने व नाखूनों को नियमित रूप से काटने के लिए कहा जाए।

जल निकासी व्यवस्था

- विद्यालय भवन को क्षति से बचाने के लिए परिसर में भवन के आस-पास के सभी खुले क्षेत्रों में हर तीन महीने में बिखरे मलवे, ईंटें व अन्य अवांछित ढ़ेर आदि को हटाकर सफ़ाई की जाए। बारिश के पानी की समुचित निकासी एवं सही तरीके से पेड़-पौधे लगाए जाएं।
- स्वच्छता और विद्यालय भवन की सुरक्षा को देखते हुए नियमित रूप से सेप्टिक टैंक/सिवरेज लाइन को साफ़ करवाया जाए।

कचरे का निपटान

- कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों का निपटान व्यस्थित ढ़ंग से किया जाए । परिसर में जगह-जगह कचरा इकट्ठा न करके इसे विद्यालय परिसर में एक सुलभ कोने (पीछे की ओर) में इकट्ठा किया जा सकता है।
- प्राचार्य द्वारा स्थानीय नगर परिषद अधिकारियों से मिलकर कचरा उठाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए या किसी हानिरहित तरीके से जमीन में नीचे दबाने की व्यवस्था की जाए या जलाकर नियमित अंतराल पर निपटान की व्यवस्था की जाए।

सुरक्षा के उपाय

- सभी आवश्यक सामग्री के साथ प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक उपचार बॉक्स उपलब्ध होना चाहिए। नियमित रूप से इसका रख-रखाव किया जाए और इसे मेडिकल यूनिट में रखा जाए। आवश्यक सामग्री की तिथि समाप्ति की नियमित रूप से जाँच की जाए।

- प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पार्क में खेलने के उपकरणों का उचित रख-रखाव किया जाए। सभी उपकरण अर्थात खेलने के उपकरणों की शारीरिक-शिक्षा शिक्षक या संबंधित शिक्षक द्वारा नियमित अंतराल पर जाँच की जाए ताकि किसी कमजोर या खराब पुर्जे के कारण किसी को कोई चोट न लगे या किसी प्रकार की कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित न हो।
- बच्चों के खेलने के मैदानों का उचित तरीके से रख-रखाव किया जाए।
- सभी मैनहोल को भली प्रकार से ढककर रखा जाए। अगर कोई ढक्कन टूट जाए या चोरी हो जाए तो विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उसे तुरंत बदल दिया जाए।
- सभी खुले तारों को अच्छी गुणवता वाले इंसुलेशन से कवर कर दिया जाए। अगर कहीं पर कोई बड़ी समस्या संभावित हो तो उचित सुरक्षा के उपाय किए जाएं। "खतरा"(Danger) का साइनबोर्ड बनाकर लगवाया जाए ताकि बच्चों को इस प्रकार के खुले तारों के सम्पर्क में आने से बचाया जा सके। इनकी शीघ्र मरम्मत करवाई जाए ताकि अवांछित दुर्घटना से बचा जा सके।
- अगर विद्यालय मुख्य यातायात सड़क पर स्थित है तो स्थानीय निकाय/यातायात पुलिस से सम्पर्क कर सड़क के दोनों तरफ विद्यालय के उचित साइनबोर्ड के साथ गति-अवरोधक बनवाने का अनुरोध किया जाए।

परिसर सुरक्षा

- विद्यालय शुरू होने के बाद अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विद्यालय के मुख्य-द्वार को बंद कर दिया जाए।
- विद्यालय के मुख्य-द्वार पर चौकीदार रखा जाए ।

बागवानी

- विद्यालय परिसर के सौंदर्य के लिए उचित बागवानी की जाए। उचित स्थानों पर पेड़-पौधे लगाए जाए। प्रवेश-द्वार और कुछ अन्य स्थानों पर छायादार पेड़ लगाए जाएं ।
- कॉरिडोर, प्रशासनिक खंड और प्रवेश द्वार के पास उचित आकार के गमले/फूलदान रखे जाएं।

सामान्य पहलू

- कैंटीन में तैयार खाने और स्नैक्स की महीने में कम से कम एक बार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आकस्मिक जांच करवाई जाए।

छात्रावास के लिए

- छात्रावास भवनों और बुनियादी ढांचों की मरम्म्त करवाकर उन्हें एक नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों को अपने घरों सें दूर रहकर यहाँ रहने व अध्ययन करने में एक आकर्षण लगे। प्रत्येक छात्रावास में खाने की उचित सुविधा होनी चाहिए तथा भोजनकक्ष में उचित फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए।

- प्रत्येक छात्रावास में दो तरह के आवास होने चाहिए। एक में बड़े शयनागार हो जिनमें एक शयनागार में कक्षा VI से VIII के छः विद्यार्थी ठहर सके और दूसरे में एक कक्ष में कक्षा IX से X के दो विद्यार्थी ठहर सकें ।
- उचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ उचित संख्या में प्रसाधन और स्नानागार की व्यवस्था हो और मौसम के अनुसार गर्म व ठण्डे पानी की व्यवस्था की जाए।
- छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग प्रसाधन।
- प्रत्येक प्रसाधन को कम से कम तीन बार अर्थात विद्यालय बंद होने के बाद, सुबह विद्यालय शुरु होने से पहले व मध्यावकाश के बाद ब्रश व फिनाइल से साफ़ किया जाना चाहिए ताकि डबल्यूसी व टाइल्स पर गंदगी के कोई धब्बे, बदबूदार गंध व पानी का ठहराव न हो।
- हाथ धोने के लिए साबुन या लिक्विड सोप की व्यव्स्था होनी चाहिए।
- लड़कियों के छात्रावासों में सुरक्षा का उचित प्रबंध होना चाहिए।
- सभी छात्रावासों के भवन अच्छे लगें इसके लिए छात्रावास भवन और उसके आस-पास मौसमी फूल पौधों का बगीचा तैयार किया जाए।
- सभी छात्रावासों में इनडोर खेल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात शतरंज, टेबल-टेनिस, बैडमिंटन, अध्ययन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, रंगीन टीवी व वीसीआर आदि। विद्यार्थियों को उनके अवकाश के समय में अध्ययन के लिए विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें लेने की सुविधा होनी चाहिए।

संक्षेप में, यह पत्र आपकी जानकारी एवं अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

भवदीय

दिनेश कुमार 3.5.14

(डॉ दिनेश कुमार)

अपर आयुक्त(शैक्षिक)

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, केविसं(मुख्या) के निजी सचिव
2. अपर आयुक्त(प्रशासन), केविसं(मुख्या) के निजी सचिव
3. संयुक्त आयुक्त(वित्त)/(शैक्षिक)/(प्रशासन)/ केविसं(मुख्या) को सूचनार्थ
4. निदेशक, सभी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
5. गार्ड फाइल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)/ Kendriya Vidyalaya Sangathan(HQ)
१८, संस्थानिक क्षेत्र/18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Sing Marg
नई दिल्ली / New Delhi-110016
Tel: 26858566, Fax No. 26514179
Website: www.kvsangathan.org

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

एफ़. न.110345/01/2014-के.वि.स(मु0)/शै०/ए.ई.ओ(ए)/514-50 दिनांक 08.05.2014

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: Maintenance safe and clean environment besides proper upkeep of school and hostels-reg.

9/5/14

Ref. - 1.F.No.8-17/95-KVS(WKB)/MCR dt. 30th Oct.1995.
2. F.No.13-7/99-KVS(Acad.)dt. 28.10.1999.
3. F.No. 32-7/2003- KVS(Acad.)dt. 29.05.2003.

Sir/Madam,

Attention is invited about the subject cited above and instruction issued by KVS headquarter from time to time as referred above. It is once again reiterated that safe and clean environment as well as proper upkeep of school and hostel building is very important. It has been observed recently that in many of the KVs these instructions are not being followed in letter and spirit despite having sufficient support and provisions. Lack of proper attention to this important aspect leads to deterioration of Vidyalaya assets, increase in annual repair cost, and unsatisfactory environment for effective teaching-learning. Similar is the condition about the surroundings/premises of buildings where bushes, unwanted weeds are not cut regularly specially on the roof top. Choking of rain water pipes & unwanted weeds are the source of leakage in various parts of the building. Such avoidable situations are found in many of the KVs as per the feedback from various sources, as well as during surprise visit to some of the Kendriya Vidyalayas.

It is, therefore, directed that all schools should follow the Guidelines given below strictly:

FOR VIDYALAYA

Class room furniture

- Class room furniture should be given importance and there should be regular repair of the serviceable furniture as and when broken or parts loosened
- The unserviceable furniture should be disposed off immediately instead of piling/stocking them either on roof top or by blocking classrooms.

Drinking water

- The tank supplying drinking water be cleaned every quarter and date of last cleaning be written and next due date also be written over it.

Student Toilets

- Separate toilets for boys and girls.
- Each toilet should be cleaned at least thrice i.e. after school hours, morning before start and after recess with brush and phenyl so that there are no dirty spots on WC & tiles or stinking smell or stagnation of water.
- Provision of soap or Hand washing liquid should be ensured.

Student cleanliness

- It may be ensured that students come in proper, neat and tidy uniform
- The students should be asked to polish their shoes and cut their nails regularly.

Drainage system

- All open areas surrounding building in the campus be got cleaned at least quarterly by removing debris brick bats, vegetations to ensure smooth flow of rain water, thereby avoiding damage to foundation.
- Septic tank/sewers be got cleaned regularly for reason of safety of building and from hygienic considerations.

Garbage disposal

- Disposal of sweepings waste material, garbage etc. may be done in a systematic manner. This may be stored at one in-accessible corner (rear side) of School campus. The present practice of dumping everywhere in the campus be stopped.
- Principals may make suitable arrangement for lifting of garbage with the help of local civil authorities or using harmless mode of burying it under ground or burning at a regular interval.

Safety considerations

- The First Aid box should be available in each Vidyalaya with all essentials. It should be maintained regularly and kept in Medical unit. Essential items expiry dates be checked regularly.
- The primary children park with the play equipments should be maintained properly. All devices i.e. play equipment should be checked by the PET or teacher concerned at a regular interval so that there is no weakened or defective part which may cause injury or casualty.
- Student play ground should be maintained properly.
- All manholes be covered in case the covers are broken/stolen, these should be replaced immediately for student s' safety.
- All naked/exposed wires be wrapped with good quality insulation. In case where major problem is anticipated proper protection, sign board marked "Danger" be made so as to prevent the children from coming in contact with such live wiring. The system should be immediately got repaired so as to avoid any untoward incidents.
- If the school is located on main traffic road all efforts be made to contact and request local body /traffic police so that at least 2 speed breakers with proper sign of school are put on both sides of the road.

Campus Security

- Once the school starts, the main gate be kept closed to prevent entry of unauthorized persons.
- Near main gate a sentry post be provided.

Gardening and Horticulture

- Proper gardening is must for beautification of the school campus. Saplings of ceremonial trees at proper location need to be planted. Some shadow trees may also be grown near the entrance and other places.
- The flower pot of proper size may also be procured and be kept in corridors administrative block and near the entrance.

General Aspects

- Food and snacks prepared in canteen should be got tested (surprise) by Public Health Department at least once in every month.

FOR HOSTEL

- The building and other infrastructure of the hostels need to be repaired and given a face lift so that the students may find it attractive to stay and study there away from their homes. There should be proper kitchen facilities and dining halls with proper furniture in each of the hostels.
- In each of the hostels, there should be two types of accommodation. One is dormitory having a minimum of 6 students in each belonging to classes VI to VIII. The students of class IX to XII will be accommodated in rooms having two students each.
- There should be adequate number of toilets and bathrooms with proper sanitation facilities and arrangement for cold and hot water as per the seasonal requirement.
- Separate toilets for boys and girls.
- Each toilet should be cleaned at least thrice i.e. after school hours, morning before start and after recess with brush and phenyl so that there are no dirty spots on WC & tiles or stinking smell or stagnation of water.
- Provision of soap or Hand washing liquid should be ensured.
- The girls' hostels should have proper security arrangements. All the hostels should have attached and well laid out garden with seasonal flower plants in order to give a good look to the hostel building and its surroundings.
- In each hostel, there should be proper arrangement for indoor games e.g. Chess, Table-Tennis Badminton etc. study room recreation hall colour TV and VCR. The students should have the facility to take books from the Vidyalaya Library for study in their leisure hours.

Laxity on these guidelines would be viewed seriously and needful action will be taken as per rules against person responsible for violation of guidelines.

This is for information and necessary action at your end.

भवदीय,

डॉ.दिनेश कुमार

अपर आयुक्त (शैक्षिक.)

Copy to:

1. PS to Commissioner (Acad), KVS(HQ).
2. PS to Addl. Commissioner (Admn.), KVS(HQ).
3. JC(Fin.)/JC(Acad.)/JC(Pers.)/JC(Admin) KVS(HQ) for information.
4. All Directors,ZIETs for information and needful action.
5. Guard File